

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2, गवर्मेन्ट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता - 700001

का.आ सं. Admn.I/NFU/Sr. PS/2024-25/135

दिनांक: 29.01.2025

कार्यालय आदेश


मुख्यालय पत्र संख्या 678-6पी.सी./जी.ई.-II/73-2009 दिनांक 22 मई, 2009 के अनुसरण में, सं. 980-Staff (App-I) 16-2010 दिनांक 07.12.2011 के अंतर्गत जारी परिपत्र संख्या 36/Staff Ap/16-2010 के अनुलम्बक 1 के साथ पठित, निम्नलिखित वरिष्ठ निजी सचिव को उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि से सी.सी.एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 9 में गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एन.एफ.यू.) की अनुमति दी जाती है:

नाम एवं पदनाम	वरिष्ठ निजी सचिव संवर्ग में पदोन्नति की तिथि	एन.एफ.यू. हेतु पात्रता की तिथि	तैनाती कार्यालय
श्री जयदेव भट्टाचार्य, वरि. निजी सचिव	01.01.2021	01.01.2025	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प. बंगाल

निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होती हैं:

- एफ.आर.-22(आई) (ए) (1) के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का उपयोग एन.एफ.यू. प्रदान करने की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारित करने हेतु एक माह के भीतर किया जा सकता है।
- संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लिए एन.एफ.यू. की गणना की जाएगी। एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत बाद में वित्तीय उन्नयन, यदि कोई हो, एन.एफ.यू. के प्रदान की तिथि से माना जाएगा।
- एन.एफ.यू. प्रदान किए जाने के बाद वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण, अधिकारियों को देय वेतन और भत्ते का बकाया भुगतान 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत किया जाएगा।
- इस कार्यालय आदेश के तहत एन.एफ.यू. के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लाभ की समीक्षा मुख्यालय से प्राप्त स्पष्टीकरण / आदेश / अनुदेश के आधार पर की जा सकती है।

//प्राधिकार: फाइल सं. Admn.I/NFU/Sr.PS/2024-25 में
दिनांक 28.01.2025 को प्रधान महालेखाकार के आदेश//


उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रति प्रेषित: -

- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता - 700001।
- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता - 700064।
- उ.म.ले. (एएमजी-I एवं प्रशासन)/ उ.म.ले. (एएमजी-II)/ उ.म.ले. (एएमजी-III)/ उ.म.ले. (एएमजी-IV) का सचिवालय।
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-2/ प्रशासन-3/ प्रशासन-4/ प्रशासन-5/ एएमजी-I(मुख्यालय)/ एएमजी-II(मुख्यालय)/ एएमजी-III नॉन-एल.ए.डी./ एएमजी-IV(मुख्यालय)/ एफ.ए.डब्ल्यू./रिपोर्ट/ आई.टी.ए./ ई.सी.पी.ए./ डी.ए.एस.)
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण)
- संबंधित व्यक्ति।
- कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ई.डी.पी. अनुभाग
- सूचनापट्ट

प्र. घोष 29/01/25
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.1)